

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (.आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या / १५ / 2017

दायर दि० २४-५-१७

फैसल दि० २४-५-१७

श्री देवीनान्त | गौतम  
इबाली  
(वादी)

अनवान  
बनाम

पटवारी म.सि.रा.।।  
गौतम  
(प्रतिवादी)

वादी श्री देवीनान्त मि. गौतम ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा इबाली के खाता नम्बर ६५ जमाबन्दी सं० २०१३-१६  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम इबाली | गौतम मीणा  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम .....  
देवीनान्त | गौतम मीणा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम .....  
इबाली | गौतम मीणा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम देवीनान्त | गौतम मीणा  
..... होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद-  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार वृसागंवाडा/गलियाकोट को आदेश  
दिया जाता है कि मोजा इबाली की जमाबन्दी संवत् २०१३-१६  
के खाता संख्या ६५ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत  
नाम इबाली | गौतम में संशोधन कर सही नाम  
देवीनान्त | गौतम दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा